नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/09/2017।

वादी जाकिर, विक्की मोनू एवं अन्नोबाई सहित श्री ए.बी.पाराशर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी कं. मध्यप्रदेश राज्य 03 पूर्व से एक पक्षीय। प्रकरण आज उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर विचार हेतु नियत है।

प्रतिवादी सब्बीर एवं अफजल के राजीनामा कथन एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सब्बीर एवं अफजल ने उनके राजीनामा कथनों में यह व्यक्त किया है कि वादी अन्नोबाई उनके मृत भाई आलमगीर पुत्र लश्करी की विधवा पत्नी है। वादी जाकिर, विक्की एवं मोनू उनके मृत भाई आलमगीर के पुत्र हैं। उनका वादीगण से वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 554 क्षेत्रफल 0.13 हैक्टेयर, 557 क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर, 564 क्षेत्रफल 0.13, 614 क्षेत्रफल 0.19, 636 क्षेत्रफल 0.11, सर्वे क्रमांक 1447 क्षेत्रफल 0.24, सर्वे क्रमांक 1449 क्षेत्रफल 0.32, सर्वे क्रमांक 1456 क्षेत्रफल 0.06 एवं सर्वे कमांक 1468 क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर स्थित ग्राम घमूरी, तहसील-गोहद के संबंध में राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाब या प्रलोभन के स्वेच्छयापूर्वक किया गया है। उक्त राजीनामा उनके द्वारा दिनांक : 08/09/2017 को न्यायालय में प्रस्तृत किया गया था। उक्त राजीनामा के अनुसार उनके पिता मृतक लश्करी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमियों के वह तीनों पुत्रगण मृतक आलमगीर, सब्बीर एवं अफजल 1/3 - 1/3 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। आलमगीर की मृत्यू हो जाने की कारण उसकी पत्नी एवं बच्चे वादी जाकिर, विक्की मोन् एवं अन्नोबाई आलमगीर के वादग्रस्त भूमि में निहित 1/3 भाग के समभाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है और वह वादग्रस्त भूमियों में निहित एक-दूसरे के भाग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगें। उपरोक्त राजीनामे के आलोक में वादीगण का वाद डिकी किये जाने में प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने कोई आपत्ति ना होना व्यक्त किया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की वर्ष 2015—16 की किस्तबंद खतौनी की कम्प्यूटरजनित प्रतिलिपि में प्रतिवादी सब्बीर एवं अफजल के पिता तथा वादीगण के पिता एवं पिता आलमगीर के पिता लश्करी पुत्र छोटेबाज का नाम वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में अंकित है। लश्करी पुत्र छोटेबाज की मृत्यु हो जाना उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है। जिससे यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि मूलरूप से लश्करी पुत्र छोटेबाज के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति थी।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाब या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी अन्य विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नही है। फलतः उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं और वादीगण का वाद अग्रानुसार आज्ञप्त किया जाता है :—

(01). यह घोषित किया जाता है कि वादीगण जािकर, विक्की, मोनू एवं अन्नोबाई वादग्रस्त भूमियों के उनके मृत पिता एवं पित आलमगीर के 1/3 भाग के समान भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में निहित वादीगण के अधिकारों में कोई अवैध हस्तक्षेप कारित ना करें, ना किसी अन्य के माध्यम से कराये।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति निर्मित की जाये।

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08/09/2017, प्रतिवादी कमांक 01 एवं 02 के राजीनामा कथन एवं इस प्रकरण की आज दिनांक : 09/09/2017 की आदेश पत्रिका आज्ञप्ति का अभिन्न भाग होगीं।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी ''अ'' में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

01. राजीव कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)

02. रविरमन बाजपेई अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड